

फा.सं.1/65(11)/2021 - भ.III

संघ लोक सेवा आयोग

भ. III अनुभाग

अंतिम संवीक्षा / लघु सूचीयन विवरण

पद का नाम	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक (बागवानी) के तीन (अ.पि.व.-02, सा.-01) पदों पर भर्ती।	
विज्ञापन सं.	15/2021	
रिक्ति सं.	21101512323	
लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अ.पि.व	अनिवार्य योग्यताएं
	अनारक्षित	अनिवार्य योग्यताएं
<ul style="list-style-type: none">• इस भर्ती मामले के संदर्भ में संवीक्षा तथा लघु सूचीयन विवरण पूर्व में आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 07.12.2022 को अपलोड किए गए थे।• उम्मीदवारों को दिनांक 22.12.2022 तक अपना पक्ष ई-मेल के माध्यम से रखने का अवसर प्रदान किया गया था।• 04 उम्मीदवारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन सभी की जांच कर ली गई है।• 01 अभ्यावेदन (अनुक्रमांक 06) "अधिक आयु" मानदण्ड के अंतर्गत अस्वीकार किए जाने के संबंध में है। अभ्यावेदन और ऑनलाइन भर्ती आवेदन की जांच कर ली गई है और यह पाया गया है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया दावा उनकी पात्रता निर्धारित नहीं करता। इसलिए, "अधिक आयु" मानदण्ड के अंतर्गत उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।• 01 अभ्यावेदन (अनुक्रमांक 45) "एलईक्यू-ख" मानदण्ड के अंतर्गत अस्वीकार किए जाने के संबंध में है। अभ्यावेदन और ऑनलाइन भर्ती आवेदन की जांच कर ली गई है और यह पाया गया है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में किया गया दावा उनकी पात्रता निर्धारित नहीं करता। इसलिए, "एलईक्यू-ख" मानदण्ड के अंतर्गत उनकी अस्वीकृति की स्थिति को बरकरार रखा जाता है।• 02 अभ्यावेदन (अनुक्रमांक 22 और 23) "अपूर्ण आवेदन" मानदण्ड के अंतर्गत अस्वीकार किए जाने के संबंध में हैं। अभ्यावेदनों और ऑनलाइन भर्ती आवेदनों की जांच कर ली गई है और यह पाया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदनों में किए गए दावे उनकी पात्रता निर्धारित करते हैं। इसलिए, लघु सूचीबद्ध कर लिए गए हैं।		
तदनुसार, संशोधित संवीक्षा विवरण निम्नानुसार है:-		

<p>अपनाए गए मापदंड</p>	<p>(i) प्रारंभिक संवीक्षा, ओआरए प्रणाली द्वारा जनरेट की गई संवीक्षा रिपोर्ट तथा उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) आवेदनों की संवीक्षा, पूर्णतया संबंधित पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार की गई है।</p> <p>(iii) बागवानी या सजावटी उद्यान-कृषि में अनुभव या बागवानी और सजावटी उद्यान-कृषि दोनों में अनुभव पर अ.यो - (ख) के रूप में विचार किया गया है। इसके अतिरिक्त, बागवानी सहित सजावटी पुष्प-कृषि आदि से संबंधित अनुसंधान कार्य पर भी अ.यो - (ख) के रूप में विचार किया गया है।</p> <p>(iv) सहायक प्रोफेसर आदि के रूप में प्राप्त अनुभव पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(v) पी.एच.डी करने हेतु प्राप्त अनुभव पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(vi) मास्टर डिग्री पूरी करने के पश्चात् प्राप्त अनुभव की गणना की गई है।</p> <p>(vii) नाम की वर्तनी में अंतर/नाम में परिवर्तन के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।</p> <p>(viii) आवेदन पत्र में, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत वचनबंध को ध्यान में रखते हुए, नियोक्ता को सूचित करने संबंधी वचनबंध पर, जहां कहीं भी लागू हो, विशेष तौर पर बल नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p>	
<p>लघु सूचीबद्ध किए गए</p>	<p>अ.पि.व</p>	<p>32, 37, 42, 43, 47, 50, 53, 56, 60, 61, 62 एवं 63</p>

उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनारक्षित	01, 08, 09, 10, 11, 16, 22, 23, 27 एवं 28
लघु सूचीबद्ध नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	एलईक्यू- (क)	04, 14, 19, 35, 38, 44 एवं 59
	एलईक्यू- (ख)	03, 05, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 34, 36, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 55 एवं 58
	अधिक आयु	06, 12, 29, 30, 31 एवं 39
	अपूर्ण आवेदन	02, 07, 21, 33, 52 एवं 54
	डुप्लीकेट आवेदन	57

परामर्शदाता/उप सचिव (भ. III)

संकेतक :

एलईक्यू : अनिवार्य योग्यता में कमी